अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 (संशोधन अध्यादेश 2014 के सहित)

स्मरणीय तथ्य

- भारतीय समाज में सदियों से पिछड़े और उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इन्हीं में से एक प्रावधान अनु. 17 में किया गया है जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अन्त किया गया है।
- संवैधानिक उपबंधों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों व उनके शोषण में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। तत्पश्चात् संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया गया, जिसे संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम –1955 नाम दिया गया, लेकिन यह भी नाकाफी सिद्ध हुआ। तत्पश्चात् सन् 1989 में संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया गया।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने के निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का तथा ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषांशिक विषय का उपबंध करने के लिए अधिनियम।
- भारतीय संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 को 11 सितम्बर, 1989 को पारित किया गया।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में "अत्याचार" की परिभाषा अधिनियम की धारा 3(1) और (2) के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में की गई है और व्यवहार के विभिन्न रूपों से सम्बन्धित 22 अपराधों को इसके अधीन सूचीबद्ध किया गया है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अधीन राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को कानूनी सहयता प्रदान करने, अन्वेषण और विचारण के दौरान स्थानान्तरण और अनुरक्षण भत्ता देने, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने आदि जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
- इस अधिनियम के अधीन संज्ञान लेने की बुनियादी शर्त यह है कि अभियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं होना चाहिए और उत्पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए और किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए, जो पीड़ित व्यक्ति की जाति की पृष्ठभूमि के साथ किया गया हो।
- अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) के अधीन सभी अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आ जाते हैं, किन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन में अपराध गैर-जमानतीय, संज्ञेय और अशमनीय बना दिए गए हैं।
- एस.सी. तथा एस. टी. (अत्याचार) निवारण अधिनियम 1989 का अधिनियम संख्याक 33 है।
- अ.जा. तथा अ.ज. जा अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 11 सितम्बर, 1989 को प्राप्त हुई।
- अजा तथा अजजा को भारतीय गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एक्ट में कुल 23 धाराएँ हैं।
- अजा. एवं अजजा एक्ट में कुल 5 अध्याय हैं।
- धारा 1 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में दिनांक 30 जनवरी, 1990 से लागू हुआ है।
- धारा 3 के तहत दण्डनीय अपराध अत्याचार की परिभाषा में आता है।
- धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।
- अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से वही तात्पर्य है जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 या खण्ड 25 में है।
- इस अधिनियम में यदि कोई शब्द परिभाषित नहीं है तो उसका अर्थ भारतीय दण्ड संहिता से लिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए हैं।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 में दी गई शक्ति के तहत बनाये गए हैं।
- नियमों की कुल संख्या 18 है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस विशेष वर्ग को अत्याचार से मुक्ति दिलाकर अत्याचार से शिकार हुए इस वर्ग के लोगों का पुनरुद्धार करना है।
- यह अधिनियम दण्डिक प्रकृति का है तथा धारा 41 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अनुसार 'विशेष विधि' की परिधि में आता है।
- संहिता से दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिप्रेत है।

Scanned with CamScanner

- इस एक्ट के प्रावधान ऐसी दशा में लागू होंगे, जब परिवादी अजा. अजजा का सदस्य हो तथा अपराधी गैर अजा., अजजा का सदस्य है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जरूरतमंद अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को तात्कालिक राहत स्वीकृत करने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आदिवासी राहत योजना नियम, 1979 (यथा संशोधित) में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित समस्त प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ-12-9-20-15-4-पच्चीस, दिनांक 12 जून, 2015 को नियम बनाये।
- मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति राहत नियम 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 जून, 2015 को पृष्ठ 465-466(1) पर प्रकाशित किये गए।
- इन नियमों की कुल संख्या 8 है।
- राज्य सरकार के इन नियमों के नियम क्रमांक एक में इनका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ का उल्लेख है।
- ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विस्तारशील है।
- नियम-2 में परिभाषाएँ दी गयी है तथा नियम 3 में इन नियमों के उद्देश्य को बताया गया है।
- नियम 2 के उपखण्ड 1 (छह) में 'राहत' की परिभाषा दी गयी है।
- नियम चार पात्रता के सम्बन्ध में उपबंध करता है।
- नियम पाँच के तहत आवेदक राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र कलेक्टर कार्यालय/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- आवेदन पत्र में प्रार्थी को अपना नाम, पूरा पता, जाति के साथ ही यह स्पष्ट लिखना होगा कि उसे राहत की आवश्यकता क्यों है?
- प्रार्थी के राहत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत के सरपंच / जनपद अध्यक्ष / नगर निगम / नगर पालिका परिषद / क्षेत्रीय विधायक / संसद सदस्य में से किसी एक के द्वारा यह तस्दीक होना आवश्यक है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है और उसे आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राहत की तुरन्त आवश्यकता है।
- नियम सात के तहत विभिन्न प्रकार की क्षतियों के लिए दी जाने वाली 'राहत' राशि का उल्लेख किया गया है।
- मकान जला दिये जाने की स्थिति में अधिकतम 15000 रुपये की राहत राशि प्रदान की जा सकेगी।
- परिवार के मुखिया (पुरुष या महिला) के निधन पर 10 हजार तथा आकस्मिक दुर्घटना होने पर तत्कालिक सहायता राशि 5000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

अध्याय–1
प्रारम्भिक (PRELIMINARY)

- अधिनियम की धारा–1(1) के अनुसार इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 है।
- इस अधिनियम का विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।
- इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा अर्थात् इस एक्ट के प्रवृत्त होने की तिथि का विनिश्चय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया।
- अधिनियम की धारा–2 में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–
- अत्याचार (Atrocity)- अत्याचार से धारा–3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। [धारा–2 (1)(क)]
- संहिता (Code) से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु **पुणेकर पब्लिकेशन्स** के उपयोगी नोट्स अवश्य पढ़ियें

Scanned with CamScanner

➢ विशेष न्यायालय (Special Court) से धारा–14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।

➢ विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा–15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है।

➢ अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से वही तात्पर्य है जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 या खण्ड 25 में है।

➢ इस अधिनियम में यदि कोई शब्द परिभाषित नहीं है तो उसका अर्थ यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता(1860),भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से लिया जाएगा।

➢ ''साक्षी'' की परिभाषा अधिनियम की धारा–2 (ङघ) में दी गयी है।

➢ अध्यायदेश क्रमांक 1 सन् 2014 की धारा 2 द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2014 से ''विशेष न्यायालयों'' शब्दों के स्थान पर ''विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों'' शब्द को प्रतिस्थापित किया गया।

➢ मार्च 2014 के संशोधन के द्वारा ही धारा–2 (खख), (खग), (खघ), (खङ), (खच), (खछ) को जोड़ा गया तथा धारा–2 (डक), (डख), (ङग) व (ङघ) भी जोड़ी गई।

➢ नवीन संशोधन के तहत धारा –2 (खख) में 'आश्रित' तथा (खग) में ''आर्थिक बहिष्कार'' शब्द को परिभाषित किया गया है।

➢ ''अनन्य विशेष न्यायालय'' से आशय इस एक्ट के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित 'अनन्य विशेष न्यायालय'' से है।

➢ धारा–2 में नवीन संशोधन के द्वारा धारा–2 (डख) को जोड़कर ''सामाजिक बहिष्कार'' का आशय स्पष्ट किया गया।

अध्याय–2
अत्याचार के अपराध (OFFENCES OF ATROCITIES)

➢ धारा–3 के अनुसार यदि कोई भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न जाति का सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को–

1. अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ मुख मे रखता है या खाने या पीने के लिए मजबूर करता है,
2. उसके परिसर या पड़ोस में घृणात्मक पदार्थ एकत्रित करके अपमानित करता है,
3. जूतो की माला पहनाएगा या नग्न या अर्द्धनग्न घुमाएगा ,
4. आवंटित भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा,
5. उसके अधिकारों से वंचित करेगा या उपयोग करने से रोकेगा
6. बेगार या बन्धुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा,
7. मानव या पशुशवो की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रो को खोदने के लिये विवश करेगा ,
8. मतदान करने से रोकेगा या जबरदस्ती करायेगा
9. दाण्डिक या मिथ्या विधिक कार्यवाही में फँसायेगा,
10. क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से लोक सेवक को मिथ्या जानकारी देगा,
11. अपमानित या अभित्रस्त करेगा,
12. लोक दृष्टि मे आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली– गलौज करेगा
13. जल स्रोत को दूषित करेगा,
14. किसी स्थान के या मार्ग के अन्य रूढ़िजन्य अधिकार को प्रयोग में लाने से वंचित करेगा,
15. निवास स्थान या निवास भवन छोड़ने से मजबूर करेगा,

तो वह कम से कम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डित होगा।

➢ यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अ.ज.जा के सदस्य के विरुद्ध साशय झूठी गवाही देता है, जिससे उस सदस्य को मृत्युदण्ड की सजा हो सकती है, तो वह व्यक्ति आजीवन कारावास से दण्डित होगा।

➢ यदि कोई सवर्ण वर्ग या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, अजा या अजजा के किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है जिसके प्रति फलस्वरुप उसे मृत्युदण्ड दिया जाता है तो वह व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा।

➢ यदि कोई लोक सेवक जो कि अजा या अजजा का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित कर्त्तव्यों का उल्लंघन या उपेक्षा करता है, तो कम से कम 6 माह के कारावास, जो कि एक वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा। (धारा–4)

➢ यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषसिद्ध होता है तो वह कम से कम एक वर्ष के कारावास जो कि अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड तक हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा। (धारा–5)

➢ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5(क) धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं। (धारा–6)

➢ जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया गया है वहाँ विशेष न्यायालय कोई दण्ड देने के अतिरिक्त लिखित रूप से आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की सम्पति

Scanned with CamScanner

स्थावर या जंगम जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपद्धत हो जाएगी (धारा–7)

- अधिनियम की धारा–8 के अपराध हेतु अभियोजन में तत्प्रतिकूल साबित न करने पर दुष्प्रेरण, सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने की उपधारणा करने का प्रावधान करती है।
- राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का निवारण करने के लिए और उससे निपटने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों को अपने किसी अधिकारी को आवश्यक या समीचीन समझने पर प्रदान कर सकती है। (धारा–9)
- स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा।
- संविधान के भाग–9 तथा भाग–9 क के अधीन पद धारकों के कर्तव्यों के पालन में बाधा उत्पन्न करेगा।
- अति श्रद्धा की किसी वस्तु या व्यक्ति का अनादर करेगा।
- साशय स्त्री को स्पर्श करेगा व लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो या अंग विक्षेपों का उपयोग करेगा,
- सम्मिलित सम्पत्ति संसाधनों, श्मशान घाटों तथा सार्वजनिक जलस्रोतों व परिवहन के उपयोग से रोकेगा।
- साइकिल, मोटर साइकिल की सवारी, सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना, शोभा यात्रा निकालना, विवाह में घोड़े की सवारी से रोकेगा।
- समान धर्म स्थलों पर पूजा स्थल में प्रवेश करने व अन्य धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेने से या उसको निकालने से निवारित करेगा।
- किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय या लोक मनोरंजन के स्थान में प्रविष्ट होने से रोकेगा।
- कारोबार या नौकरी करने से रोकेगा।
- जादू–टोने करने या डायन होने के नाम पर शारीरिक हानि पहुँचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, या
- कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या ऐसी धमकी देगा, वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

अध्याय–3
निष्कासन (EXTERNMENT)

- जहाँ न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला है या करेगा तो लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को उचित समय के लिए वहाँ से हटाया जा सकता है। (धारा–10)
- यदि वह हटता नहीं है या निर्धारित समय से पहले लौट आता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा द्वारा हटाया जाएगा। न्यायालय अपना आदेश कभी भी प्रतिसंहत कर सकता है। (धारा–11)
- धारा 10 मे विशेष क्षेत्र की सीमाओं से हटने की समय सीमा को दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष 2014 के संशोधन द्वारा किया गया है।
- पुलिस ऐसे व्यक्ति की फोटो लेगी तथा बाद में यदि न्यायालय अपना आदेश प्रतिसंहत कर सकता है तो फोटो के निगेटिव को उस व्यक्ति को लौटा देगा या नष्ट कर दी जाएगी। (धारा–12)
- वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। (धारा–13)

अध्याय – 4
विशेष न्यायालय (SPECIAL COURT)

- राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलो के लिये एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। (धारा–14(1))
- राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। [(धारा–15 (1)]
- राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करे, जिससे इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव दो माह की अवधि में निपटाए जा सके।
- मार्च 2014 के संशोधन द्वारा अधिनियम धारा–14 (क) को समाविष्ट किया गया,जो अपीलों के संबंध में उपबन्ध करती है।
- धारा–14 (क) (1) के अनुसार विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 4 क
पीड़ित और साक्षी के अधिकार (RIGHT OF VICTIMS AND WITNESS)

- अध्याय–4 (क), अध्यादेश क्रमांक 1 सन् 2014 की धारा–11 द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2014 को अंत: स्थापित किया गया।
- अध्याय –4 (क) में पीड़ित और साक्षी के अधिकार संबंधी उपबन्ध किए गए हैं।
- राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह पीड़ित और साक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था करे। [धारा–15 क (1)]
- राज्य सम्बद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण की सूचना देगा। [धारा 15 क (7)]
- विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के संबंधन में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। [धारा 15 क (8) (ग)]
- अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पीडित सूचनाकर्ता या साक्षियों की शिकायतों की अभिलिखित करे। [धारा–15 क (9)]
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियों की वीडियो ग्राफी की जावेगी।
- अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को यह अधिकार होगा कि वह गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकताओं या अधिवक्ताओं से सहायता ले सके। [धारा 15 क (13)]

अध्याय–5
प्रकीर्ण (MISCELLANEOUS)

- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (1955 का 22) की धारा 10 क के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। (धारा–16)
- जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे की रैंक का न हो, पर्याप्त आधार पर किसी क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा शांति बनाए रखने के लिए उचित कार्यवाही कर सकता है। (धारा–17)
- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होंगे। (धारा–18)
- इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाए गए अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को संहिता की धारा 360 (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रावधान और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। (धारा–19)
- इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाली लिखित में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावशाली होंगे। (धारा–20)
- राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हो। [धारा–21 (1)]
- इन उपायों को धारा 21 (2) में बताया गया है यथा–
  - ❖ अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने हेतु विधिक सहायता देना
  - ❖ उनके आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए प्रावधान करना,
  - ❖ विवेचना एवं विचारण के दौरान साक्षियों एवं अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय की व्यवस्था करना
  - ❖ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए या अभियोजना का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना,
  - ❖ उपायों के निश्चय तथा उनके क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना एवं प्रावधानों की कार्यशीलता का नियतकालिक सर्वेक्षण करने हेतु प्रावधान करना।
  - ❖ ऐसे क्षेत्रों की पहचान जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होना संभावित हो तथा ऐसे उपायों का कार्यान्वयन ताकि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा किये गए उपायों से ताल–मेल बैठाने हेतु केन्द्रीय सरकार भी कदम उठाएगी। [21(3)]
- केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष संसद के दोनों पटल पर स्वयं के द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट रखेगी। [21(4)]
- इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने हेतु आशयित किसी कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होंगी। [(धारा)–22]

Scanned with CamScanner

- केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। [धारा–23(i)]
- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। [धारा–23 (ii)]

संक्षेप में धारा व उनके प्रावधान

धारा	प्रावधान
	अध्याय–1 : प्रारम्भिक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	परिभाषाएँ
	अध्याय–2 : अत्याचार के अपराध
3	अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड
4	कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड
5	पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दण्ड
6	भारतीय दण्ड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना
7	कतिपय व्यक्तियों की सम्पत्ति का समपहरण
8	अपराधों के बारे में उपधारणा
9	शक्तियों का प्रदान किया जाना
	अध्याय–3 : निष्पादन
10	ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है।
11	किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशामें प्रक्रिया
12	ऐसे व्यक्तियों के जिनके, द्वारा धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना
13	धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति
	अध्याय– 4 : विशेष न्यायालय
14	विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय
14 क	अपीलें
15	विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक
15 क	पीडित और साक्षी के अधिकार
	अध्याय–5 : प्रकीर्ण
16.	राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
17	विधि और व्यवस्थातंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही
18	अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना
19	इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध का लागू न होना।
20	अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना
21	अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्त्तव्य
22	सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
23	नियम बनाने की शक्ति

Scanned with CamScanner

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम प्रश्नोत्तर

प्र.1–निम्नलिखित का 20 शब्दों में उत्तर दीजिए –

(i) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उद्देश्य**

(ii) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट का प्रभाव क्षेत्र**

(iii) **विशेष न्यायालय**

(iv) **विशेष लोक अभियोजक**

(v) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नियम कौन बना सकता है ?**

(vi) **इस अधिनियम के तहत भारतीय दण्ड संहिता के कौन–से उपबन्ध लागू होंगे ?**

उत्तर–(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उद्देश्य–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करना है।

(ii) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट का प्रभाव क्षेत्र**–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा। यह 11 सितम्बर, 1989 को लागू किया गया।

(iii) **विशेष न्यायालय**–अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

(iv) **विशेष लोक अभियोजक**–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

(v) **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नियम**–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 23(1) यह प्रावधान करती है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(vi) **इस अधिनियम के तहत भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध**–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 6 के अनुसार, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए; भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे भारतीय दण्ड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

प्र.2–निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

1. **अनुसूचित जाति**
2. **अनुसूचित जनजाति**
3. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु संवैधानिक उपबन्ध**
4. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989**
5. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग**
6. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम**
7. **जनजातीय मंत्रालय**
8. **जनजातीय विकासखण्ड**
9. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
10. **अत्याचार से आशय व उसके कारण**

उत्तर–1.अनुसूचित जाति–अनुसूचित जाति राजनैतिक–कानूनी शब्द है। यह पहली बार साइमन कमीशन द्वारा गढ़ा गया था और भारत सरकार अधिनियम, 1935 में इसका उल्लेख किया गया था। अनुसूचित जाति शब्द से तात्पर्य उन लोगों से है, जो अतीत में जाति या वर्ण पदानुक्रम व्यवस्था से बाहर थे। भारत के संविधान की धारा 366(24) के अनुसार, **अनुसूचित जाति** से तात्पर्य ऐसी जातियों, जनजातियों या प्रजाति से या जातियों, जनजातियों या प्रजातियों के भीतर आंशिक या ऐसे समूहों से है, जिन्हें अनुसूचित जाति के रूप में अनुच्छेद 341 के तहत संविधान के उद्देश्यों के तहत अनुसूचित जाति माना गया है।

अनुच्छेद 341 भारत के राष्ट्रपति को जातियों, जनजातियों या प्रजाति को या जातियों, जनजातियों या प्रजातियों के भीतर के आंशिक या समूहों की अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।

Scanned with CamScanner

2. **अनुसूचित जनजाति–** भारत के संविधान की धारा 366(25) उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने का प्रावधान करती है, जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित है। अनुच्छेद 342 के अनुसार, 'राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है, उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का भाग 8.2 % है। इनमें ससे 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।'

3. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु संवैधानिक उपबन्ध–** वर्षों से विकास क्रम में पिछड़ी एवं सामाजिक वर्गीकरण के निम्न पायदान पर समझी जाने वाली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित संवैधानिक उपबन्ध किये गये हैं–

   1. **संवैधानिक उपबन्ध–**संविधान की प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत में सभी को समान अवसर व न्याय मिलेगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों का शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य संरक्षण इस प्रकार हैं–

      1. अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध। **(अनुच्छेद–17)**
      2. इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनको सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाना। **(अनुच्छेद–46)**
      3. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त को हटाना। **[अनुच्छेद–15(2)]**
      4. किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में सभी नागरिकों के स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, बसने और सम्पत्ति अर्जित करने के सामान्य अधिकारों में विधि द्वारा कटौती करने की व्यवस्था। **[अनुच्छेद–19(5)]**
      5. राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबन्ध का निषेध। **[अनुच्छेद–29(2)]**
      6. राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए उन सरकारी सेवाओं में, जहाँ उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, आरक्षण करने का अधिकार देना तथा राज्य के लिए यह अपेक्षित करना कि वह सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ करने के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान रखे। **(अनुच्छेद–16 तथा 335)**
      7. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को 25 जनवरी, 2010 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व देना। **(अनुच्छेद 330, 332 तथा 334)**
      8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना करना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना। **(अनुच्छेद 164 तथा 338 और पंचम अनुसूची)**
      9. अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबन्ध। **(अनुच्छेद 244 और पंचम तथा पृष्ठ अनुसूची)**

4. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (प्रताड़ना रोक) अधिनियम, 1989–**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अपराधों, जो अत्याचार के रूप में माना जाता है, निर्दिष्ट करता है और उसके लिए आयोग के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था है। वास्तव में अनेक संवैधानिक उपबन्धों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों व उनके शोषण में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। तत्पश्चात् संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया गया, जिसे संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 नाम दिया गया, लेकिन यह भी नाकाफी सिद्ध हुआ। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने के निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का तथा ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित या उनके अनुषांगिक विषय का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 को 11 सितम्बर,1989 को पारित किया गया। इसमें कुल 23 धाराएँ और 5 अध्याय हैं।

5. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत् अनुसूचित जातियों के लिए एक संवैधानिक निकाय का प्रावधान किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा उपायों पर नजर रखता है और उनके कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों की समीक्षा करता है। आयोग को अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने तथा रक्षा और रक्षोपाय अधिकार प्रदान किये गये हैं। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई है। यह भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने को कह सकता है।

Scanned with CamScanner

6. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम**–राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) का गठन फरवरी, 1989 में भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत किया था। NSFDC के विस्तृत उद्देश्य दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी अनुसूचित जाति परिवारों के लिए उनके आर्थिक विकास, उन्नति तथा विभिन्न स्कीमों के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

7. **जनजातीय मंत्रालय**–स्वाधीनता के पश्चात् से सितम्बर, 1983 तक जनजातीय प्रशासन का कार्य केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक जनजातीय विकास विभाग देखता था। यह महसूस किया गया कि जनजातीय योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं सक्षम प्रशासन के लिए अलग मंत्रालय की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अक्टूबर, 1999 में एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय अब अनुसूचित जनजातियों के बारे में नीति निर्धारित करने, योजनाएँ बनाने और योजनाओं में समन्वय स्थापित करने वाला शीर्ष मंत्रालय है।

8. **जनजातीय विकासखण्ड**-जनजाति विकासखण्ड, 1957 से ऐसे क्षेत्रों को जनजाति विकासखण्ड के रूप में गठित किया जाता है। इन विकासखण्डों को (66%) जनजाति विकास की एक इकाई मानकर विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। मध्यप्रदेश में कुल 89 जनजाति विकासखण्ड है।

9. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**–भारत में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। पुन: 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग–अलग कर दिया गया और नया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त रक्षोपायों का संरक्षण और निगरानी करना है।

10. **अत्याचार से आशय व उसके कारण**– भारतीय कानून में अत्याचार (एट्रोसिटी) शब्दावली की परिभाषा नहीं की गई है। सरकारी दस्तावेज में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरुद्ध अपराध पद का प्रयोग हुआ है। 1974 में गृह मंत्रालय में ऐसे अपराधों को दर्ज करना शुरू किया और इन्हें अत्याचार की चार श्रेणियों में बाँटा–हत्या, गम्भीर चोट, आगजनी और बलात्कार। इसके बाद के वर्षों में इस श्रेणी में भारतीय दण्ड संहिता के कुछ दूसरे अपराध सम्मिलित किये गये, जिससे भुक्तभोगी पीड़ित हुए थे।
अत्याचार के कारण–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अत्याचार के मामलों के तीन कारण बताये गये हैं –

1. भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि में आवंटन अथवा अनिर्णित भूमि विवाद।
2. राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान या कम भुगतान के कारण उत्पन्न तनाव तथा विरोध।
3. संविधान तथा विभिन्न उपायों में अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति के विरुद्ध रोष।

प्र.3–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार और क्रूरता की घटनाएँ तथा उन्हें रोकने के लिए संवैधानिक व विधिक उपाय बताइए।

उत्तर–अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) सदियों से पिछड़े और अभावग्रस्त जीवन जीती रही है और अनेक प्रकार के अत्याचारों की शिकार होती रही है। समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा से कटी हुई ये जातियाँ अपने उत्थान और विकास को तरसती रही है। जहाँ एक ओर आदिवासियों को शोषण ओर दुराचार की घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो दूसरी और हरिजन कही जाने वाली अनुसूचित जातियों को छुआछूत जैसी घृणित परम्परा का शिकार होना पड़ा। इन उपेक्षित, पिछड़ी और शोषित जातियों के ऊपर लम्बे समय तक विविध प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं, जिसके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने इनकी सुरक्षा के अनेक उपबन्ध किए तथा स्वतंत्र भारत की सरकार ने इनके संरक्षण के अनेक कानून भी पारित किये हैं, परन्तु जाति प्रथा जन्म–जन्मान्तर से चली आने तथा धर्म द्वारा ऊँची जातियों को नीची जातियों की अपेक्षा विशेषाधिकार हक प्रदान कर देने के कारण ऊँची जातियों के निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गये हैं और जाति प्रथा मिटाने से अथवा अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिलने से इनके निहित स्वार्थों पर आँच आती है। इसीलिए वे इनका विरोध करते हैं। हिन्दू धर्म ने अछूतों को उच्च जातियों की प्रतिस्पर्धा में आने से रोकने के लिए शिक्षा तथा साफ–सुथरे उद्योगों के व्यापार तो उनके लिए बन्द कर ही रखे हैं। उन्हें मानसिक रूप से भी सख्त और बहुत आकांक्षाहीन बनाये रखने के लिए यह विधान बना रखा है कि अछूत हिन्दुओं के कुँओं से पानी नहीं ले सकते हैं, साफ–कपड़े व जेवर नहीं पहन सकते हैं। उनके बराबर बैठना तो दूर यदि हिन्दू खड़ा है या आ रहा है तो अछूत बैठा नहीं रह सकता। हिन्दुओं की जाति प्रथा तथा वर्ण व्यवस्था अछूतों को जीते जी नरक में रखने का षड़यंत्र मात्र है और चूँकि हिन्दू धर्म में इसका कोई समाधान नहीं है। अत: राजनीतिक अधिकार पृथक से दिया जाना ही एकमात्र हल है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर निम्नलिखित अत्याचार एवं क्रूरता की घटनाएँ होती रहती हैं –

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश करना।
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को क्षति, अपमान या क्षोभ कारित करने के आशय से उसके परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा–करकट, पशु–शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ फेंकना।
3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के शरीर से बलात कपड़े हटाता है या उसे नग्न या रंगे हुए चेहरे या शरीर से घुमाता है।

Scanned with CamScanner

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसकी भूमि या परिसर से दोषपूर्ण बेदखल करना या किसी सार्वजनिक वस्तु के उपयोग पर हस्तक्षेप करना जैसे–जल, भूमि एवं परिसर आदि का उपयोग।

5. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिरोपित अनिवार्य सेवा करने के सिवाय बेगार या इसी प्रकार बंधुआ श्रम करने के लिए विवश करना।

6. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मतदान न करने या विशिष्ट उम्मीदवार को मत देने के लिए वे उपबन्धित रीति से अन्यथा मतदान करने हेतु विवश या अभित्रस्त करना।

7. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध मिथ्या, विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या आपराधिक वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करना।

8. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्व को या उसे आवंटित या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन हेतु अधिसूचित भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करना या उसे जोतना या उसकी भूमि को अन्तरित करना।

9. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नीचे दिखाने के आशय से सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाले स्थान में साशय अपमानित या अभित्रस्त करना।

10. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला का अनादर या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या वल प्रयोग करना।

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा साधारणतया उपयोग में लाये जाने वाले झरने, जलाशय या अन्य किसी स्रोत के जल वाले भ्रष्ट या गन्दा करता है ताकि जिस प्रायोजन के लिए सामान्यतया उसका उपयोग किया जाता है उसके लिए वह कम उपयुक्त रह जाये।

12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लोग समागम के स्थान के मार्ग पर रूढ़िगत अधिकार से इंकार करना या ऐसे सदस्य को बाधा पहुँचाना ताकि उसे लोक समागम के स्थान जिनका उपयोग करने या उस तक पहुँच रखने का अधिकार आम जनता या उसके किसी वर्ग के सदस्य रखते हैं का उपयोग करने या उस तक पहुँचने से रोका जाता है।

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उसके मकान, गाँव या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने हेतु विवश करना।

वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ संवैधानिक नियमों को ताक में रखकर उपरोक्त अत्याचार किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएँ उत्तरप्रदेश में घटित होती हैं और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएँ मध्यप्रदेश में घटित होती हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध हिंसक अपराधों के मामले में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात सबसे आगे है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उपाय

संवैधानिक प्रावधान–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचार पुराने समय से ही अस्तित्व में हैं, इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निर्मित संविधान में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अत्याचार से रक्षा करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं –

अनुच्छेद 14– राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 – राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा अर्थात् कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा पूर्णत: या भागत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद 16–

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा।

अनुच्छेद 17 –"अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 18 –

1. राज्य सेना या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा अर्थात् जातीय उपाधियों को प्रतिबन्धित किया गया।

अनुच्छेद 21 – किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

Scanned with CamScanner

➢ **अनुच्छेद 23–**

1. मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।
2. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

➢ **अनुच्छेद 32–**संविधान के भाग–3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।

➢ **अनुच्छेद 46** – राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा ओर अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

➢ **अनुच्छेद 330 एवं 332–** लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण

➢ **अनुच्छेद 339–** राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा।

➢ **विधिक प्रावधान–**

1. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम– 1976
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम–1989
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग

65वे संविधान संशोधन अधियम (1990) के अन्तर्गत अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किए जाने वाले विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पाँच सदस्यों की व्यवस्था की गई है। आयोग के कर्तव्यों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति की समस्याओं की जाँच, निगरानी तथा सलाह देना आदि प्रमुख है तथा इनके कल्याण, संरक्षण और संरक्षण के सम्बन्ध में अन्य कार्य करना, जिनकी जिम्मेदारी संसद द्वारा किसी कानून या नियम के तहत सौंपी गई है तथा रिपोर्ट पेश करना। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करायेंगे।

इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर अनेक अत्याचार होते रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी उपाय भी किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक सशक्त कानून अनुसूचिज जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम,1989 रहा है, जो इन वर्गों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रहा है।

❑❑❑

Scanned with CamScanner

मानव अधिकार एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993

महत्वपूर्ण तथ्य

- मानव अधिकार किसी भी सभ्य समाज के लिए विकास के मूल आधार होते हैं।
- मानव अधिकारों की संकल्पना अत्यन्त प्राचीन है।
- सर्वप्रथम ग्रीक (यूनानी) राज्यों द्वारा मानव अधिकारों को मान्यता दी गई थी।
- मानव अधिकार, विश्व शांति एवं मानव कल्याण आदिकाल से ही हमारी सभ्यता/संस्कृति की धरोहर रहे हैं।
- मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं।
- मानव अधिकार, किसी भी व्यक्ति में उसके जन्म से ही निहित रहते हैं।
- मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
- मानव अधिकारों को मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है।
- सामाजिक जीवन की वे दशाएँ, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे 'मानवाधिकार' कहलाती है।
- वस्तुतः मानव अधिकार मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, शांति व सार्वभौमिकता का आधार है।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मानव अधिकारों से सम्बन्धित प्रकाशित, लिखित दस्तावेज ब्रिटेन का सन् 1215 का महान घोषणा-पत्र (मैग्नाकार्टा) है।
- सन् 1215 में प्रकाशित ब्रिटेन का महान घोषणा-पत्र (मैग्नाकार्टा) को मानव अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है।
- सन् 1525 में प्रकाशित 'द ट्वेल्स आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट' को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है।
- **डी.डी. बसु के अनुसार,** "मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य विचारण के, मानव परिवार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी के विरुद्ध धारण करना चाहिए।"
- मानव अधिकार अविभाज्य (Indivisible) एवं अन्योन्याश्रित (Interdependent) होते हैं।
- मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने के लिए पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर,1926 में दासता के विरुद्ध हुए विश्व सम्मेलन में प्रकट हुआ।
- 10 दिसम्बर,1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई एवं मानव अधिकार संहिताबद्ध रूप में सामने आये।
- सन् 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना फरवरी 1946 में हुई।
- आयोग ने अपना कार्य जनवरी,1947 में श्रीमती फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रारम्भ किया।
- 'ह्यूमन राइट्स वॉच' मानवाधिकार संगठन की स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में की गई थी।
- महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग की स्थापना 1946 में की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया।
- संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने वर्ष 1994 में मानव अधिकार 'हाट लाईन' की स्थापना की।
- "स्वतंत्रता महिला तथा पुरुषों के हृदय में निवास करती है।" यह कथन पालखीवाला का है।
- भारतीय संविधान में " मानव अधिकारों" को मूल अधिकारों के नाम से सम्मिलित किया गया है।
- भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के आधार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।
- इंग्लैण्ड में मूल अधिकारों को 'मैग्नाकार्टा' के नाम से जाना जाता है।
- अमेरिका में मूल अधिकारों को 'बिल ऑफ राइट्स' के नाम से जाना जाता है।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है।
- अस्पृश्यता का अन्त मानवाधिकार है।
- सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करना, मिलावट करना, छल करना, डकैती करना, समलैंगिकता, गर्भपात कराना, मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993

- मानव अधिकारों के हनन को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993" बनाया।
- मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों के मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया।
- यह अधिनियम भारत गणतंत्र के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993" है। **[धारा-1(1)]**
- 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993" सम्पूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह कुछ सीमाओं के साथ लागू है।
- यह अधिनियम 28 सितम्बर,1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- यह अधिनियम वर्ष 2006 से अपने संशोधित स्वरूप में लागू है।

Scanned with CamScanner

- इस अधिनियम में कुल 43 धाराएँ तथा 8 अध्याय हैं ।
- 'मानव अधिकार' की परिभाषा अधिनियम की धारा-2(घ) में दी गई है ।
- "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग" के गठन का प्रावधान अधिनियम की धारा-3 में है ।
- "मानवाधिकार" आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो ।
- आयोग के सदस्यों में एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, दो सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, होंगे ।
- 2006 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे ।
- मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है ।
- अधिनियम की धारा-4 में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है ।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है ।
- अधिनियम की धारा-5 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के त्यागपत्र और हटाये जाने का प्रावधान करती है ।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा । **[धारा-5(2)]**
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, के लिए होती है।
- आयोग का सदस्य पुनः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होने का पात्र होगा । **[धारा-6(2)]**
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते।
- अधिनियम की धारा-7 में कुछ परिस्थितियों में, जिनमें अध्यक्ष अपना कार्य न कर पा रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अन्य सदस्य को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपने का प्रावधान किया गया है ।
- धारा-8 अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित उपबंध करती है ।
- धारा-9 के अनुसार आयोग में कोई रिक्ति होने या गठन में कोई त्रुटि होने पर भी आयोग द्वारा की गई कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी ।
- आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है ।
- अधिनियम की धारा-12 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को उल्लेखित किया गया है ।
- आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ सौंपी गई हैं ।
- अधिनियम की धारा-13 आयोग की जाँच से सम्बन्धित शक्तियों का प्रावधान करती है ।
- धारा-14 के तहत आयोग के अन्वेषण के लिए केन्द्र तथा राज्य के अन्वेषण अभिकरण व अधिकारी की सेवा ले सकता है ।
- धारा-17 में आयोग को मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है ।
- धारा-19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।
- अधिनियम की धारा-20 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट सौंपे जाने सम्बन्धी प्रावधान है ।
- कोई राज्य सरकार अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है । **(धारा-21)**
- राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो ।
- राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 और सूची-3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्धित विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जाँच कर सकेगा । **[धारा-21(5)]**
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी । **(धारा-22)**
- अनिनियम की धारा-23 में राज्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों के त्यागपत्र देने व उन्हें हटाये जाने सम्बन्धी उपबंध है ।
- राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । **[धारा-23(1)]**
- राज्य आयोग के अध्यक्ष की पदावधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो, तक रहेगी । **[धारा-24(1)]**
- अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए । **(धारा-26)**
- राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । **[धारा-28(1)]**
- मानव अधिकारों के उल्लंघन से गठित अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।" **(धारा-30)**
- राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी । **(धारा-31)**
- लोक अभियोजन नियुक्त होने के लिए 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है ।
- धारा-32 में केन्द्रीय सरकार तथा धारा-33 में 'राज्य सरकार' द्वारा आयोगों को अनुदान दिए जाने सम्बन्धी उपबंध है ।
- धारा-34 में राष्ट्रीय आयोग तथा धारा-35 में राज्य आयोगों के लेखों और संपरीक्षा सम्बन्धी उपबन्ध दिए गए हैं ।
- राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग उन मामलों की जाँच नहीं कर सकेंगे जो एक वर्ष से अधिक पुराने हो । **[धारा-36(2)]**
- धारा-37 में विशेष अन्वेषण दलों का गठन करने का उपबंध है ।
- अधिनियम की धारा-38 सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है ।
- धारा-39 के तहत राष्ट्रीय व राज्य आयोगों के सदस्य व अन्य अधिकारियों को लोक सेवक समझा जायेगा ।
- धारा-40 के तहत केन्द्र सरकार को तथा धारा-41 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है ।
- अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन में जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा ।

मानव अधिकार एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. **सामाजिक जीवन की वे दशाएँ, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे, क्या कहलाती है ?**
(अ) स्वतंत्रता (ब) स्वच्छंदता
(स) मानवाधिकार (द) व्यक्तिगत अधिकार

2. **मानवाधिकार होते हैं ?**
(अ) केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए
(ब) केवल मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए
(स) केवल निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए
(द) सभी व्यक्तियों के लिए

3. **मानव अधिकारों को निम्नलिखित नाम/नामों से भी जाना जाता है अथवा कहा जाता है ?**
(1) आधारभूत अधिकार (3) मूल अधिकार
(3) अंतर्निहित अधिकार (4) प्राकृतिक अधिकार
(5) जन्म अधिकार
कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए
(अ) 1, 2, 5 (ब) 1, 2, 3, 4
(स) 2, 4, 5 (द) 1, 2, 3, 4, 5

4. **'मानवाधिकार' ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को -**
(अ) उसके कर्म से मिले हैं (ब) संघर्ष से मिले हैं
(स) जन्म से मिले हैं (द) परम्परा से मिले हैं

5. **"मानवाधिकार" किसी भी सभ्य समाज के विकास के होते हैं ?**
(अ) प्रेरणा स्रोत (ब) मार्गदर्शक
(स) मूल अधार (द) केन्द्र बिन्दु

6. **सर्वप्रथम किन राज्यों द्वारा मानव अधिकारों को मान्यता दी गई थी ?**
(अ) अमेरिकन राज्यों द्वारा
(ब) ग्रीक (यूनानी) राज्यों द्वारा
(स) समाजवादी राज्यों द्वारा
(द) इनमें से कोई नहीं

7. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मानव अधिकारों से संबंधित प्रकाशित लिखित दस्तावेज कौन-सा था ?**
(अ) 1215 का महान घोषणापत्र (मैग्नाकार्टा)
(ब) 1628 का पिटीशन ऑफ राइट
(स) 1689 का बिल ऑफ राइट्स
(द) 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा

8. **निम्नलिखित में से किसे 'मानवाधिकार' का जन्मदाता कहा जा सकता है ?**
(अ) द ट्वेल्व आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (1525)
(ब) महान घोषणा पत्र (मैग्नाकार्टा) - 1215
(स) मानवाधिकार घोषणा पत्र -1948
(द) बन्दी प्रत्यक्षीकरण कानून - 1688

9. **मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किस सम्मेलन में प्रकट हुआ ?**
(अ) 25 सितम्बर, 1926 में हुए दासता के विरुद्ध सम्मेलन में
(ब) 28 जून, 1936 को हुए बलात् श्रम सम्मेलन में
(स) वर्ष 1945 में हुए सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन में
(द) सन् 1948 के मानवाधिकार घोषणा पत्र में

10. **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की "सार्वभौमिक घोषणा" किस तिथि को की गई ?**
(अ) 10 दिसम्बर, 1947 को (ब) 10 सितम्बर, 1948 को
(स) 10 दिसम्बर, 1948 को (द) 30 दिसम्बर, 1947 को

11. **10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई । इस घोषणा-पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं ?**
(अ) 26 अनुच्छेद (ब) 30 अनुच्छेद
(स) 42 अनुच्छेद (द) 48 अनुच्छेद

12. **विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?**
(अ) 10 सितम्बर (ब) 30 दिसम्बर
(स) 10 दिसम्बर (द) इनमें से कोई नहीं

13. **मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र के किन अनुच्छेदों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की विवेचना की गई है ?**
(अ) अनुच्छेद 1 से 5 तक (ब) अनुच्छेद 10 से 14 तक
(स) अनुच्छेद 16 से 20 तक (द) अनुच्छेद 22 से 28 तक

14. **संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सामाजिक प्रगति और विकास की घोषणा को किस तिथि को अंगीकार किया ?**
(अ) 10 दिसम्बर, 1947 (ब) 10 दिसम्बर, 1948
(स) 11 दिसम्बर, 1969 (द) 11 दिसम्बर, 1959

15. **अमेरिका में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है ?**
(अ) बिल ऑफ राइट्स (ब) मेग्नाकार्टा
(स) राइट ऑफ कांस्टिट्यूशन (द) राइट ऑफ पर्सन

16. **इंग्लैण्ड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है?**
(अ) संवैधानिक उपचार (ब) मेग्नाकार्टा
(स) बिल ऑफ राइट्स (द) वैयक्तिक अधिकार

17. **"स्वतंत्रता महिला तथा पुरुषों के हृदय में निवास करती है ।" यह कथन किसका है ?**
(अ) श्रीमती रूजवेल्ट का (ब) डायसी का
(स) पालखीवाला का (द) बेन्थम का

18. **भारतीय संविधान में 'मानव अधिकारों' को किस नाम से सम्मिलित किया गया है ?**
(अ) सामाजिक अधिकार (ब) राजनैतिक अधिकार
(स) मूल अधिकार (द) संवैधानिक अधिकार

Scanned with CamScanner

19. **निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार मानव अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है ?**
(अ) समता का अधिकार
(ब) स्वतंत्रता का अधिकार
(स) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
(द) संपत्ति रखने का अधिकार

20. **'ह्यूमन राइट्स वॉच' एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी ?**
(अ) सन् 1978, न्यूयार्क में
(ब) सन् 1979, जेनेवा में
(स) सन् 1946, ब्रुसेल्स में
(द) 1971 पेरिस में

21. **क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है ?**
(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) सरकार पर निर्भर है
(द) व्यक्ति पर निर्भर है

22. **निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए ?**
(अ) शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव अधिकार है
(ब) संगठन बनाना मानवाधिकार है
(स) अस्पृश्यता का अंत मानवाधिकार है
(द) गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार मानवाधिकार है

23. **निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन/ कथनों को सही कूट के माध्यम से चुनिए ?**
(1) महिला के साथ बलात्संग उसके मानवाधिकार का अतिलंघन है
(2) जारकर्म उस महिला के मानवाधिकार का उल्लंघन है
(3) सदोष अवरोध मानवाधिकार का उल्लंघन है
(4) शिशु का जीवित पैदा होने से रोकना मानवाधिकार का उल्लंघन है
(5) विधि का समान संरक्षण मानवाधिकार है
कूट-
(अ) 1, 2, 3 (ब) 2, 3, 4, 5
(स) 1, 2, 3, 4, 5 (द) 1, 2, 4, 5

24. **क्या लोकसेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में उस स्त्री के साथ सम्भोग उसके मानवाधिकार का अतिलंघन है ?**
(अ) हाँ, ऐसा कृत्य अतिलंघन है
(ब) नहीं, यह लोकसेवक पर लागू नहीं होता
(स) यह लज्जा भंग का कृत्य है
(द) इनमें से कोई नहीं

25. **निम्नलिखित दशाओं में से कौन-सी मानव अधिकार के उल्लंघन की दशा नहीं है ?**
(अ) कामकाजी महिलाओं का योन-उत्पीड़न
(स) व्यपहरण
(स) गर्भपात कराना
(द) छल करना

26. **क्या सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करना मानवाधिकार का अतिलंघन है ?**
(अ) नहीं (ब) हाँ
(स) कुछ हद तक उल्लंघन (द) स्थिति स्पष्ट नहीं

27. **निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकारों को संरक्षण करने का आदेश दिया था ?**
(अ) केशवा नंद बनाम केरल राज्य
(ब) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(स) प्रेम शंकर बनाम देहली प्रशासन
(द) गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

28. **क्या लोक हितवाद के द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है ?**
(अ) किया जा सकता है
(ब) नहीं, किया जा सकता है
(स) मानवाधिकार आयोग की अनुमति से किया जा सकता है
(द) इनमें से कोई नहीं

29. **क्या प्रकृति विरुद्ध अपराध उसके प्रति मानवाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा ?**
(अ) हाँ माना जायेगा (ब) नहीं, माना जायेगा
(स) न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (द) आयोग पर निर्भर है

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

30. **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 किस तिथि को प्रभावशील हुआ ?**
(अ) 10 दिसम्बर, 1993 (ब) 28 दिसम्बर, 1993
(स) 8 जनवरी, 1994 (द) 26 नवम्बर, 1993

31. **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है ?**
(अ) सम्पूर्ण भारत पर
(ब) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर
(स) राज्यों की इच्छा पर लागू
(द) केन्द्रशासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर

32. **उक्त अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर निम्न में से किस स्थिति में लागू किया जाऐगा ?**
(अ) जैसा कि जम्मू-कश्मीर की सरकार चाहे वैसी स्थिति में
(ब) केवल वहाँ तक लागू होगा, जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य में प्रयोजन संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-1 या सूची-3 में वर्णित किन्हीं प्रविष्टियों से संबंधित मामलों से हैं
(स) यह केवल संघ सूची के विषयों के मामलों पर लागू होगा
(द) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू है

33. **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणतंत्र राज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है ?**
(अ) बयालीसवें वर्ष में (ब) तिरतालीसवें वर्ष में
(स) चवालीसवें वर्ष में (द) पैंतालीसवें वर्ष में

34. **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का संशोधित वर्ष क्या है ?**
(अ) 2001 (ब) 2003
(स) 2006 (द) 2009

35. **इस संशोधित अधिनियम, 2006 का अधिनियम संख्यांक क्या है ?**
(अ) 10 (ब) 26
(स) 39 (द) 43

Scanned with CamScanner

36. "मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निर्दिष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।" यह परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है ?

(अ) धारा-2 (ख) (ब) धारा-2 (ग)
(स) धारा-2 (घ) (द) धारा-2 (ड़)

37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत "सशस्त्र बल" से अभिप्रेत है ?

(अ) नौ सेना (ब) थल सेना
(स) वायु सेना (द) उपरोक्त सभी

38. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कुल कितनी धाराएँ हैं ?

(अ) 30 धाराएँ (ब) 40 धाराएँ
(स) 43 धाराएँ (द) 47 धाराएँ

39. किस सन् में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) रेगुलेशन पारित किया गया ?

(अ) 1991 (ब) 1993
(स) 1994 (द) 1996

40. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कुल कितने अध्याय हैं ?

(अ) 5 (ब) 7
(स) 8 (द) 9

41. अधिनियम के किस अध्याय में वित्त, लेखा और संपरीक्षा का प्रावधान है ?

(अ) अध्याय-5 (ब) अध्याय-6
(स) अध्याय-7 (द) अध्याय-8

42. निम्नलिखित अध्याय व उनके प्रावधानों में से असुमेलित को छाँटिए-

(अ) अध्याय-3- आयोग के कृत्य और शक्तियाँ
(ब) अध्याय-4 प्रकीर्ण
(स) अध्याय-5 - राज्य मानव अधिकार आयोग
(द) अध्याय-6 मानव अधिकार न्यायालय

43. प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया ?

(अ) 10 दिसम्बर, 1993 (ब) 10 दिसम्बर, 1994
(स) 13 अक्टूबर, 1993 (द) 8 जनवरी, 1994

44. प्रथम आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था ?

(अ) सुश्री फातिमा बीबी (ब) न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ
(स) श्री वीरेन्द्र दयाल (द) जस्टिस कृष्णा अय्यर

45. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी, कि-

(अ) आयोग में कोई रिक्ति है
(ब) आयोग के गठन में कोई त्रुटि है
(स) अ + ब दोनों सही (द) इनमें से कोई नहीं

46. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है ?

(अ) उच्चतम न्यायालय का निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश
(ब) किसी भी उच्च न्यायालय का निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश
(स) उच्चतम न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश
(द) किसी भी उच्च न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश

47. वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है ?

(अ) पी. सदशिवम (ब) के.जी.बालकृष्णन
(स) मोण्टेक सिंह अहलूवालिया (द) मार्कण्डेय काटजू

48. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा (ब) सुश्री फातिमा बीबी
(स) न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह (द) न्यायमूर्ति श्री यस.एस. कांग

49. इनमें से कौन मानवाधिकार का सदस्य नहीं बन सकता है ?

(अ) लोकसभा का अध्यक्ष
(ब) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(स) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(द) ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकारों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता है

50. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं ?

(अ) चार (ब) पाँच
(स) तीन (द) सात

51. आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है ?

(अ) राष्ट्रपति (ब) राज्यपाल
(स) प्रधानमंत्री (द) मुख्यमंत्री

52. आयोग के सदस्य को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है ?

(अ) धारा-4 (ब) धारा-5
(स) धारा-6 (द) धारा-8

53. निम्नलिखित आधारों में से सदस्य को हटाने का कौन-सा आधार नहीं है ?

(अ) दिवालिया (ब) विकृत चित्त
(स) शारीरिक दुर्बलता (द) भ्रष्टाचारी नहीं है

54. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर करता है, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है ?

(अ) उपराष्ट्रपति
(ब) प्रधानमंत्री
(स) लोकसभा का अध्यक्ष
(द) लोक सभा में विपक्ष का नेता

55. आयोग के सदस्य की पदावधि क्या होती है ?

(अ) पाँच वर्ष (ब) सात वर्ष
(स) नौ वर्ष (द) पदमुक्ति तक

56. आयोग के सदस्य की पदावधि के लिए कितनी आयु होती है ?

(अ) 75 वर्ष (ब) 60 वर्ष
(स) 70 वर्ष (द) आयु की कोई सीमा नहीं है

57. अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है ?

(अ) धारा-5 (ब) धारा-6
(स) धारा-9 (द) धारा-4

58. किस धारा में आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करता है ?

(अ) धारा-10 (ब) धारा-11
(स) धारा-9 (द) धारा-12

59. आयोग का सदस्य अध्यक्ष का पद के रूप में कार्य कब कर सकता है ?
(अ) अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने पर
(ब) अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा अवकाश लेने पर
(स) अध्यक्ष द्वारा स्थान से बाहर होने पर
(द) अध्यक्ष द्वारा जाँच-पड़ताल में व्यस्त होने पर

60. अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है ?
(अ) धारा-7 (ब) धारा-6
(स) धारा-8 (द) इनमें से कोई नहीं

61. अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्त बताई गई है ?
(अ) धारा-10 (ब) धारा-8
(स) धारा-9 (द) धारा-11

62. किस धारा के अंतर्गत महासचिव की नियुक्ति की जाती है ?
(अ) धारा-11 (ब) धारा-9
(स) धारा-10 (द) धारा- 13

63. किस धारा में केन्द्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करती है ?
(अ) धारा- 8 (ब) धारा- 9
(स) धारा- 10 (द) धारा-11

64. आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं ?
(अ) अध्यक्ष (ब) सदस्य
(स) महासचिव (द) क्लर्क

65. राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा ?
(अ) दिल्ली (ब) कोलकाता
(स) मद्रास (द) मुम्बई

66. अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्य बताए गए हैं ?
(अ) धारा-12 (ब) धारा-13
(स) धारा-14 (द) धारा-10

67. इनमें से आयोग का कौन-सा कृत्य नहीं होगा ?
(अ) शिकायत किए जाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना
(ब) ऐसे उल्लंघन के निवारण में लोग सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की जाँच करना
(स) पुलिस अधिकारी को निलंबित करना
(द) संविधान द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्राविधित रक्षापायों की समीक्षा करना

68. आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जाँच करते समय किस न्यायालय की शक्तियाँ रखता है ?
(अ) दीवानी न्यायालय (ब) राजस्व न्यायालय
(स) आपराधिक न्यायालय (द) न्यायाधिकरण

69. इस अधिनियम के अंतर्गत जाँच की सुनवाई करते समय आयोग की निम्न में से क्या शक्ति होती है ?
(अ) साक्षियों को सम्मन करने
(ब) दस्तावेजों का प्रकटीकरण
(स) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना
(द) साक्षियों की प्रतिपरीक्षा

70. किस धारा के अंतर्गत आयोग अन्वेषण की कार्यवाही में सरकार की मदद ले सकता है ?
(अ) धारा-14 (ब) धारा- 15
(स) धारा- 16 (द) धारा- 17

71. किस धारा के तहत आयोग व्यक्तियों के कथन ले सकता है ?
(अ) धारा- 15 (ब) धारा- 14
(स) धारा- 16 (द) धारा- 17

72. किस धारा के अंतर्गत आयोग सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करता है ?
(अ) धारा- 16 (ब) धारा- 15
(स) धारा- 17 (द) धारा- 1

73. मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जाँच नहीं कर सकता, जो घटना घटित होने के कितने वर्ष पूर्व के हों ?
(अ) एक वर्ष पूर्व के (ब) दो वर्ष पूर्व के
(स) तीन वर्ष पूर्व के (द) पाँच वर्ष पूर्व के

74. मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के संबंध में मानवाधिकार आयोग की क्या भूमिका निभाता है ?
(अ) उनके प्रयासों को हतोत्साहित करना
(ब) उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना
(स) किसी तरह का हस्तक्षेप न करना
(द) ऐसे कार्यों के लिए आयोग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है

75. मानव अधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त कार्यवाहियाँ किस प्रकृति की समझी जावेगी ?
(अ) न्यायिक (ब) अर्द्ध न्यायिक
(स) प्रशासनिक (द) गैर-न्यायिक

76. क्या आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है ?
(अ) लाया जा सकता है (ब) नहीं, लाया जा सकता है
(स) आयोग पर निर्भर करता है
(द) व्यक्ति की अनुमति से लाया जा सकता है

77. मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक कर्मचारी किस प्रकार का कर्मचारी माना जायेगा ?
(अ) न्यायिक कर्मचारी (ब) अर्द्धन्यायिक कर्मचारी
(स) सरकारी कर्मचारी (द) प्राइवेट कर्मचारी

78. निम्नलिखित में से सत्य कथन /कथनों को चुनिए ?
(अ) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा
(ब) आयोग समाज के विभिन्न वर्गों को मानव अधिकारों से अवगत करायेगा
(स) आयोग की बैंठकें ऐसे समय और स्थान पर होगी जो आयोग का अध्यक्ष उचित समझे
(द) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं

79. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना क्यों की जाती है ?
(अ) त्वरित विचारण (ब) उचित विचारण
(स) सस्ता विचारण (द) साम्यिक विचारण

80. किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है ?
(अ) धारा-29 (ब) धारा- 28
(स) धारा- 30 (द) धारा- 31

Scanned with CamScanner

81. किस धारा में राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है ?
(अ) धारा- 28 (ब) धारा- 29
(स) धारा- 30 (द) धारा- 31

82. निम्नलिखित में असम्बद्ध को छाँटिए ?
(अ) धारा- 41 में केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है
(ब) धारा-42 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध है
(स) धारा- 36 में राज्य आयोग के लेखों और संपरीक्षा का प्रावधान है
(द) धारा- 37 में विशेष अन्वेषण दलों का गठन संबंधी प्रावधान है

83. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है ?
(अ) केन्द्रीय सरकार (ब) संसद
(स) राष्ट्रपति (द) प्रधानमंत्री

84. आयोग के समक्ष जाँच करने के लिए क्या परिसीमा काल है ?
(अ) एक वर्ष (ब) छह महीने
(स) तीन वर्ष (द) एक महीना

85. किस धारा में परिसीमा की अवधि के बारे में बताया गया है ?
(अ) धारा- 34 (ब) धारा- 35
(स) धारा- 36 (द) धारा-32

86. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के द्वारा सदस्य या अध्यक्ष को संरक्षण प्रदान किया गया है ?
(अ) धारा- 37 (ब) धारा-38
(स) धारा- 39 (द) धारा- 40

87. किस धारा में विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया जाता है ?
(अ) धारा- 37 (ब) धारा- 38
(स) धारा- 39 (द) धारा-35

88. किस धारा में आयोग के सदस्य लोक सेवक माने जाते हैं?
(अ) धारा- 38 (ब) धारा-39
(स) धारा- 40 (द) धारा-41

89. अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार नियम बना सकती है ?
(अ) धारा- 40 (ब) धारा- 41
(स) धारा- 42 (द) धारा- 43

90. किस सन् में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम पारित किया गया ?
(अ) 1992 (ब) 1990
(स) 2001 (द) 2000

91. किस सन् में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया ?
(अ) 1990 (ब) 2000
(स) 1996 (द) 1997

92. अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है ?
(अ) धारा-10 (ब) धारा-11
(स) धारा-8 (द) धारा-12

93. किस धारा में अल्पसंख्यकों के आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है ?
(अ) धारा-9 (ब) धारा-10
(स) धारा-8 (द) धारा-11

94. किस धारा के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश निरसित किया गया है ?
(अ) धारा-43 (ब) धारा-41
(स) धारा- 40 (द) धारा-44

95. किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करना पड़ता है ?
(अ) धारा-18 (ब) धारा-19
(स) धारा-20 (द) धारा-21

96. वह धारा जिसके अंतर्गत आयोग सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में कार्यवाही कर सकता है ?
(अ) धारा-19 (ब) धारा-18
(स) धारा-17 (द) धारा-20

97. जाँच पूर्ण हो जाने के पश्चात् आयोग किस धारा में कदम उठाता है ?
(अ) धारा-16 (ब) धारा-17
(स) धारा-18 (द) धारा-19

98. निम्न में से किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी किसी परिवाद में मार्च के दौरान सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है ?
(अ) धारा- 16 (ब) धारा- 17
(स) धारा- 15 (द) धारा- 18

99. अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता है ?
(अ) धारा-20 (ब) धारा- 21
(स) धारा-22 (द) धारा-23

100. राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है ?
(अ) राष्ट्रपति (ब) प्रधानमंत्री
(स) राज्यपाल (द) मुख्यमंत्री

101. विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति कौन करता है ?
(अ) उच्च न्यायालय (ब) उच्चतम न्यायालय
(स) जिला सरकार (द) राज्य सरकार

102. राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है ?
(अ) कोई भी न्यायाधीश
(ब) उच्च न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश
(स) उच्च न्यायालय का निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश
(द) राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्ति

103. अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ?
(अ) धारा-21 (ब) धारा-22
(स) धारा-23 (द) धारा-24

104. किस धारा के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है ?
(अ) धारा-22 (ब) धारा-23
(स) धारा-26 (द) धारा-28

Scanned with CamScanner

105. राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितनी अवधि तक अपना पद धारण करेगा ?
(अ) 3 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो
(ब) 5 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो
(स) 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो
(द) 7 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो

106. राज्य आयोगों अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के उपबंध अधिनियम की किस धारा में किए गए हैं ?
(अ) धारा-24 में (ब) धारा- 25 में
(स) धारा-26 में (द) धारा-27 में

107. अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट निम्न में से कौन कर सकता है ?
(अ) राज्यपाल (ब) राज्य सरकार
(स) उच्च न्यायालय (द) मुख्य सचिव

108. राज्य आयोग किस धारा के तहत अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ?
(अ) धारा-27 (ब) धारा-28
(स) धारा-29 (द) धारा-31

109. किस सन में मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियमन पारित किया गया ?
(अ) 1994 (ब) 1995
(स) 1996 (द) 1998

110. मध्यप्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है ?
(अ) इंदौर (ब) जबलपुर
(स) भोपाल (द) ग्वालियर

111. 'मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है ? **(MPPSC-2013)**
(अ) 10, दिसम्बर को (ब) 9, दिसम्बर को
(स) 10, नवम्बर को (द) 10, अक्टूबर को

112. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है ? **(MPPSC-2014)**
(अ) लोक सभा का अध्यक्ष (ब) राज्य सभा का सभापति
(स) लोक सभा में विपक्ष का नेता (द) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

113. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है ? **(MPPSC-2014)**
(अ) राष्ट्रपति (ब) राज्यपाल
(स) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरमाला

1.(स)	2.(द)	3.(द)	4.(स)	5.(स)
6.(ब)	7.(अ)	8.(ब)	9. (अ)	10.(स)
11.(ब)	12.(स)	13.(द)	14.(स)	15.(अ)
16.(ब)	17.(स)	18.(स)	19.(द)	20.(अ)
21.(ब)	22.(ब)	23.(द)	24.(अ)	25.(ब)
26.(ब)	27.(स)	28.(अ)	29.(अ)	30.(ब)
31.(अ)	32.(ब)	33.(स)	34.(स)	35.(द)
36.(स)	37.(द)	38.(स)	39.(स)	40.(स)
41.(स)	42.(ब)	43.(स)	44.(द)	45.(स)
46.(अ)	47.(ब)	48.(अ)	49.(अ)	50.(द)
51.(अ)	52.(ब)	53.(द)	54.(ब)	55.(अ)
56.(स)	57.(ब)	58.(अ)	59.(अ)	60.(अ)
61.(ब)	62.(अ)	63.(द)	64.(स)	65.(अ)
66.(अ)	67.(स)	68.(अ)	69.(द)	70.(अ)
71.(अ)	72.(अ)	73.(अ)	74.(ब)	75.(अ)
76.(ब)	77.(स)	78.(द)	79.(अ)	80.(स)
81.(द)	82.(अ)	83.(अ)	84.(अ)	85.(स)
86.(ब)	87.(अ)	88.(ब)	89.(अ)	90.(अ)
91.(अ)	92.(अ)	93.(अ)	94.(अ)	95.(द)
96.(अ)	97.(स)	98.(ब)	99.(अ)	100.(स)
101.(द)	102.(स)	103.(ब)	104.(ब)	105.(स)
106.(स)	107.(ब)	108.(ब)	109.(स)	110.(स)
111.(अ)	112.(ब)	113.(ब)		

❑❑❑

Scanned with CamScanner

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955

स्मरणीय तथ्य

- भारत ने लम्बे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्र भारत के संविधान में छुआछूत के कलंक को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करने को दण्डनीय अपराध घोषित करता है।
- इस प्रकार संविधान भारतीय समाज के परम्परा से चले आ रहे इस महान् कलंक को समाप्त करने की ही घोषणा नहीं करता, वरन् भविष्य में इसके किसी भी रूप में पालन करने को भी मना करता है।
- अनुच्छेद 17 और 35 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद ने सन् 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 पारित किया था। यह अधिनियम अस्पृश्यता के अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है।
- 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम में अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन करके अस्पृश्यता के पालन करने के लिए विहित दण्ड को और भी कठोर बना दिया गया है।
- इसके नाम को बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया है।
- इसके अधीन लोक सेवक का यह कर्तव्य होगा कि उक्त अपराधों की जाँच करे और समुचित कार्यवाही करें।
- पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।
- कर्नाटक राज्य बनाम अप्पावालू इंगाले (1993) के मामले में प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 4 और 7 के अधीन किए गए अपराध के लिए परीक्षण किया गया और उन्हें सिद्धदोष पाया गया तथा एक माह के कारावास और 100 रु. जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
- अधिनियम में जन अधिकार छुआछूत के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 'सिविल अधिकार' का आशय संविधान के अनुच्छेद 17 से संदर्भित है।
- यह स्मरण रहे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को पहले 'अस्पृश्यता अधिनियम' के नाम से जाना जाता था।
- इस अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से रोकने को सामाजिक निर्योग्यता माना गया है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत 'अस्पृश्यता के आचरण' को न्यायोचित ठहराना अपराध है।
- इस अधिनियम के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति पर 'अस्पृश्यता' के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं दे सकता।
- इस अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को भी दण्डित किया जा सकता है, जिसने संकेतों द्वारा 'अस्पृश्यता' का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित किया हो।
- अधिनियम अस्पृश्यता के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इंकार कर दण्ड या प्रावधान करता है।
- 'छुआछूत' शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों द्वारा उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार निर्धारित की जाती है।
- ''अस्पृश्यता'' का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने , और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए अधिनियम।
- इसके अनुसार अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएँ साथ–साथ दी जा सकती है।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा 8 मई, 1955 को अनुमति प्रदान की गई।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
- यह अधिनियम संख्यांक 22 है।
- इस अधिनियम में कुल 17 धाराएँ हैं।
- अधिनियम की धारा 1 (1) के अनुसार यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत होगी।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1 जून, 1955 को लागू हुआ।

Scanned with CamScanner

- अधिनियम की धारा–2 में निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित किया गया है –
  - **सिविल अधिकार–** सिविल अधिकार से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा ''अस्पृश्यता'' का अंत कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है। **(धारा–2क)**
  - **होटल–** होटल के अंतर्गत जलपान गृह, भोजनालय, बासा, काफी हाऊस और केफे भी है। (धारा – 2 कक)
  - **'स्थान'–** स्थान के अंतर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर है और उसके अंतर्गत तम्बू, यान और जलयान भी है। **(धारा–2 ख)**
  - **लोक मनोरंजन स्थान–** इस के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन के अंतर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी है। **(धारा–2 ग)**
  - **लोक पूजा स्थान–**इसके अंतर्गत ऐसा स्थान जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो। **(धारा–2 घ)**
  - इसके अंतर्गत निम्नलिखित है –
    1. ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र स्थान।
    2. निजी स्वामित्व का कोई पूजा स्थान जिसका स्वामी वस्तुतः उसे लोक पूजा–स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है।
    3. ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र स्थान जिसके स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है।
  - **विहित–** विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। **(धारा–घ क)**
  - **अनुसूचित जाति–** इसका वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में उसे दिया गया है। **(धारा–2 घख)**
  - **दुकान–** कोई ऐसा परिसर है जहाँ वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है। **(धारा–2ङ)**
- अधिनियम की धारा–3 धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है अर्थात् जो कोई किसी व्यक्ति को लोक पूजा स्थान में प्रवेश, पूजा या प्रार्थना करने, तालाब, कुएँ, जल स्रोत में स्नान या उसके जल का उपयोग करने से उस व्यक्ति को रोकते हैं, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय है।
- धारा –3 और धारा–4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध सिक्ख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्राह्मी समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी है, हिन्दू समझे जाएँगे।
- अधिनियम की धारा –4 सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है अर्थात् जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध–

1. किसी दुकान, लोक उपाहारगृह, होटल या लोक मनोरंजन स्थान में प्रवेश करना अथवा
2. उक्त स्थानों के साथ धर्मशाला सराय या मुसाफिर खाने में जनसाधारण के उपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं के उपयोग करने से; या
3. कोई वृत्ति करना या उपजीविका या किसी काम में नियोजन, अथवा
4. ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्रोत, कुएँ, तालाब, हौज, पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नान घाट, कब्रस्तान या श्मशान, स्वच्छता संबंधी सुविधा, सड़क या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान का जिसका उपयोग करने के लिए या जिसमें प्रवेश करने के जनता के अन्य सदस्य अधिकारवान हो, उपयोग या उसमें प्रवेश करना, या
5. राज्य निधियों से पूर्णतः या अंशतः पोषित पूर्त या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या जन साधारण के उपयोग के लिए समर्पित स्थान का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना, या
6. जनसाधारण या (उसके किसी विभाग) के व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्त न्यास के अधीन किसी फायदे का उपयोग करना, अथवा
7. किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग या उसमें प्रवेश करना या किसी भी परिक्षेत्र में किसी निवास परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करना, या
8. किसी ऐसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने का जो जनसाधारण के लिए खुला हो, उपयोग ऐसे व्यक्ति के रूप में करना, या
9. किसी सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि, प्रथा या कर्म का अनुपालन या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या जुलूस निकलना, अथवा आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करना; के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता ''अस्पृश्यता'' के आधार पर लागू करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

Scanned with CamScanner

- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कोई निर्योग्यता लागू करना'' के अंतर्गत ''अस्पृश्यता'' के आधार पर विभेद करना है। (स्पष्टीकरण)
- जो कोई ''अस्पृश्यता'' के आधार पर–
  (क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था, या किसी छात्रावास में यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था या छात्रावास जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, या
  (ख) पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेदपूर्ण कार्य करेगा।
- वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। (धारा–5)
- जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर जिन पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उनकी सेवा करने से ''अस्पृश्यता'' के आधार पर इन्कार करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। **(धारा–6)**
- ''अस्पृश्यता'' उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड **(धारा–7)**

1. **जो कोई –**
   (क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्पृश्यता'' के अंत होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा, या
   (ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुँचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या बाधा कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुँचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा, या
   (ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या जनसाधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में ''अस्पृश्यता'' का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा, या
   (घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का ''अस्पृश्यता'' के आधार पर अपमान करेगा, या अपमान करने का प्रयत्न करेगा

- वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार के, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्पृश्यता'' का अंत करने के कारण उसे प्रोद्भूत हुआ है, प्रयोग किए जाने के प्रतिशोध के रूप में या बदला लेने की भावना से करेगा, वह जहाँ अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहाँ, कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। **[धारा –7 (1क)]**
- जो कोई इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने ''अस्पृश्यता'' का आचरण करने से इन्कार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है। **(धारा–7 - 2)**
  (1) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करेगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो, या
  (2) ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत करने में कोई भाग लेगा।
- वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटानेय या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए ''अस्पृश्यता'' के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ''अस्पृश्यता'' से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है। **[धारा –7 क (1)]**
- जिस किसी के बारे में उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसने ''अस्पृश्यता'' से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है, वह कम से कम तीन मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। **(धारा –7 क 2)**
- जबकि वह व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध हो किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कोई अनुज्ञप्ति किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रखता हो, तब उस अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी अन्य ऐसी शास्ति पर जिससे वह व्यक्ति उस धारा के अधीन दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्देश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति रद्द होगी या ऐसी कालावधि के लिए, जितनी न्यायालय ठीक समझे, निलम्बित रहेगी। **(धारा –8)**

Scanned with CamScanner

- जहाँ कि किसी ऐसे लोक पूजा स्थान (या किसी शिक्षा संस्थान या छात्रावास) का प्रबंधक या न्यासी जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहाँ, यदि सरकार की राय में उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए समुचित आधार हो तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग निलम्बन या पुनर्ग्रहण के लिए निदेश दे सकेगी। **(धारा –9)**
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। **(धारा –10)**
- सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट की धारा–10 क राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत यदि विहित रीति में जाँच करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जाने से सम्बन्धित है, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।
- अधिनियम की धारा–11 पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर वर्धित शास्ति का उपबंध करती है। जिसके अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण का पहले दोषसिद्ध हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का पुनः दोषसिद्ध होगा, वह दोषसिद्धि पर -
  - (क) द्वितीय अपराध के लिए, कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम दो सौ रुपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
  - (ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के सदस्य के सम्बन्ध में किया जाए वहाँ, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य ''अस्पृश्यता'' के आधार पर किया गया है। (धारा–12)
- अधिनियम की धारा–13 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा को निर्धारित करती है अर्थात् सिविल न्यायालय ऐसा कोई वाद ग्रहण नहीं करेगा या कोई डिक्री या आदेश नहीं देगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल हो।
- इसी तरह धारा 13 (2) के तहत कोई न्यायालय किसी बात के न्यायनिर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर ''अस्पृश्यता'' के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा।
- अधिनियम की धारा–14 कम्पनियों द्वारा अपराध के मामले में उपबंध करती है, जिसके अनुसार–अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।
- परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
- धारा–14 के स्पष्टीकरण के अनुसार ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से फर्म का भागीदार भी अभिप्रेत है।
- अधिनियम की धारा 14 क सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है।
- अधिनियम की धारा–15(1) कहती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे अपराध पर सिवाय उसके जो कम से कम तीन मास से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचार किया जा सकेगा।
- 15 (2) के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 क 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी लोक सेवक के बारे में यह अभिकथिक है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए, किया है तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान–
  - (क) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की, और-
  - (ख) किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

Scanned with CamScanner

- अधिनियम की धारा15 क राज्य सरकार को यह कर्तव्य सौंपती है कि वह केन्द्रीय सरकार के उन नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी व्यवस्था करेगी, ''अस्पृश्यता'' के अंत के बाद किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्ति को जो सुविधा/ अधिकार मिले हैं उनका वह सहजता से उपयोग व उपभोग कर सके।
- अधिनियम की धारा–16 में यह उपबंध किया गया है कि इस एक्ट में अभिव्युक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस एक्ट के उपबंध अन्य किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की डिक्री या आदेश पर प्रभावी होंगे।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 [1958 (क) 20] के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने का दोषी पाया जाता है। **(धारा –16क)**
- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए, नियम बना सकेगी।

[धारा –16 ख (1)]

- इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। **[धारा 16 ख (2)]**
- अधिनियम की धारा–17 निरसन से सम्बन्धित है -

धाराएँ	प्रावधान
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2	परिभाषाएँ
3	धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड
4	सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड
5	अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार क रने के लिए दण्ड
6	माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड
7	'अस्पृश्यता' अद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड
7A	विधिविरूद्ध अनिवार्य श्रम कब 'अस्पृश्यता' का आचरण समझा जाएगा
8	कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना
9	सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलम्बन
10	अपराध का दुष्प्रेरण
10A	सामुहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति
11	पश्चात्वर्ती दोषसिद्धिपर वर्धित शास्ति
12A	कुछ म ामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा
13	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा
14	कम्पनियों द्वारा अपराध
14A	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
15	अपराध संज्ञेय या संक्षेपतः विचारणीय होंगे
15A	'अस्पृश्यता' का अन्त करने से प्रोद्भूत अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य
16	अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा
16A	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना
16B	नियम बनाने की शक्ति
17	निरसन

❑❑❑

Scanned with CamScanner

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (प्रश्नोत्तर)

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 शब्दों में दीजिए–

1. **सिविल अधिकार से आशय**
2. **लोक मनोरंजन स्थान**
3. **लोक पूजा स्थान**
4. **अस्पृश्यता से उद्भूत होने वाली निर्योग्यता**
5. **राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना कब लगा सकती है?**
6. **धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड**
7. **सिविल संरक्षण अधिनियम की धारा 15(क) राज्य सरकार को कौन–सा कर्तव्य सौंपती है?**

उत्तर–1. सिविल अधिकार से आशय–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार सिविल अधिकार से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है।

2. **लोक मनोरंजन स्थान**–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार लोक मनोरंजन स्थान के अन्तर्गत कोई भी ऐसा स्थान है, जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है।

3. **लोक पूजा स्थान**–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, "लोक पूजा स्थान" से चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहाँ कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिए, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणत: समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणत: उपयोग में लाया जाता है।

4. **अस्पृश्यता से उद्भूत होने वाली निर्योग्यता**–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए 'अस्पृश्यता' के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने 'अस्पृश्यता' से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है।

5. **राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना लगा सकती है**–सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट की धारा–10(क) राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत यदि विहित रीति से जाँच करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने से सम्बन्धित है या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं या ऐसे अपराध के किए जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं या ऐसे अपराध के किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

6. **धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड**–अधिनियम की धारा–3 धार्मिक निर्योग्यताएँ लागू करने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है अर्थात् जो कोई किसी व्यक्ति को लोकपूजा स्थान में प्रवेश, पूजा या प्रार्थना करने, तालाब, कुएँ, जल स्रोत में स्नान या उसके जल का उपयोग करने से उस व्यक्ति को रोकते हैं, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय है।

7. **सिविल संरक्षण अधिनियम की धारा 15(क) राज्य सरकार को कर्तव्य सौंपती है**–अधिनियम की धारा 15 (क) राज्य सरकार को यह कर्तव्य सौंपती है कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था करेगी, "अस्पृश्यता" के अन्त के बाद किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्ति को जो सुविधा/अधिकार मिले हैं, उनका वह सहजता से उपयोग व उपभोग कर सके।

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

1. **सिविल संरक्षण अधिनियम, 1955**
2. **अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रावधान**

उत्तर–1. सिविल संरक्षण अधिनियम, 1955–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता उन्मूलन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता का आचरण करने से निषिद्ध करता है। इस अधिनियम के तहत व्यापक नियम भी बनाए गये थे, जिसमें प्रभावित लोगों के लिए अन्य चीजों के अलावा राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी। इसमें निवारक उपायों की भी परिकल्पना की गई है और वास्तव में यह अधिनियम 'अस्पृश्यता' का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए अधिनियमित है, जिसे भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में अधिनियमित किया था। संशोधन करके इसका पुन: नामकरण किया गया तथा (1976 से) यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हो गया है। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2. **अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रावधान**–संविधान के अनुच्छेद 17 में 'अस्पृश्यता का अन्त' किया गया है। किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध किया है तथा इसके कारण उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दण्डनीय है। संसद को अनुच्छेद–35 के तहत यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में अधिनियम बनाए। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया था। संशोधन करके इसका पुन: नामकरण किया गया तथा 1976 से यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हो गया है। 'अस्पृश्यता' की संविधान में कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यह मान लिया गया है कि यह सर्वविहित है। इस अधिनियम में कुछ कार्यों को जब, वह अस्पृश्यता के आधार पर किए जाते हैं, तब अपराध माना जाता है, वह कार्य इस प्रकार है–

(1) किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक व सार्वजनिक संस्था, जैसे- अस्पताल, शिक्षा संस्थान आदि में प्रवेश करने से रोकना;
(2) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के स्थान पर उपासना करने से रोकना;
(3) किसी दुकान, होटल तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने से रोकना एवं अन्य सार्वजनिक सेवाएँ जैसे–जलाशय, पानी का नल, मार्ग, श्मशान आदि पर जाने पर प्रतिबन्ध लगाना।

1976 में इसमें कुछ और अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध सम्मिलित कर दिए गए हैं–

(1) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना ;
(2) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को उचित ठहराते हुए उपदेश देना;
(3) धर्म अथवा जाति परम्परा, इतिहास या दर्शन के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना।

जब कोई व्यक्ति इन अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, तब एक सौ से पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना व एक मास से छ: मास तक के कारावास से दण्डनीय हो सकेगा।

Scanned with CamScanner